<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड्वानी</u> (समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 225/2012 संस्थित दिनांक 06.06.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

– अभियोगी

वि रू द्व

- केकड़ीया पिता मड़ीया भिलाला, उम्र 45 वर्ष, निवासी काकरिया
- चन्दू पिता केकड़ीया भिलाला, उम्र 19 वर्ष, निवासी काकिरयां

- अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक — श्री विशाल कर्मा

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक - - को घोषित)

- 01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 92/2012 के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 23.09.2012 को दिन में 12 बजे ग्राम काकरिया में लोक स्थान पर फरियादी दिनेश, बदीबाई व पिंटु को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने तथा किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से उनको मारकर स्वेच्छया पूर्वक उपहति कारित करने, उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के लिए भा.दिव की धारा 294,323,506भाग—2 का आरोप है।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं और पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.12 को बदीबाई ने थाना ठीकरी में आरोपीगण के विरूद्ध रात्रि 10:30 बजे यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है कि, वे अपने घर पर अपने पुत्र पिंटु, पित घुरक्या तथा रिश्तेदार रमेश के साथ थी तो गांव का हीरालाल ने दरवाजा ठोका और उन्हें गंदी—गंदी गालिया दी, उसने बाहर आकर आरोपी हीरालाल को गालियां देने से मना किया इतने में रमेश ने हीरालाल को एक थप्पड मारा तो वह आरोपी हीरालाल अपने घर गया और केकडिया लट्ठ लेकर आया, केकडिया ने उसके लड़के पिंटु को लट्ठ पुट्ठे पर मारी, तथा शीरू ने पत्थर मारा जो उसके लड़के को पीठ में लगा, गजराबाई व चन्दुबाई आ

गई उसने बाल पकड़कर मारपीट की, हीरालाल ने दराता उसके लड़के को बांए कान के पास मारा, रमेश को हीरालाल, केकिडया, शीरू ने थप्पड़ मुक्को से मारपीट की, झगड़ा देखकर बनीबाई, उसका जेठ मंगा ने बीच बचाव किया, केकिडया ने उसे लट्ठ से दाहिने हाथ में, जॉघ में, कमर में, पीठ पर मारपीट की। आरोपीगण ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलोच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी, उसने घटना कैलाश को बताई तथा वह अपने लड़के पिंटू, रिश्तेदार रमेश, जेठ को लेकर रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क. 92/12 दर्ज कर आहत साक्षियों का मेडिकल परीक्षण कराया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी शीरू, हीरालाल गजराबाई की घटना दिनांक को उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उनके विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड बड़वानी में तथा शेष आरोपीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तगण को भादिव की धारा 294, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

豖.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 10.05.12 को रात्रि लगभग में 8.30 बजे ग्राम काकरिया फरियादी बदीबाई के मकान सामने बदीबाई, पिंटू, रमेश को लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
(ii)	क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बदीबाई, पिंटू, रमेश को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकडी, थप्पड से मारपीट कर उन्हें कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की ?
(iii)	क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बदीबाई, पिंटू, रमेश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

- विचारणीय प्रश्न कमांक (i), (ii) व (iii) पर सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त तीनों ही विचारणीय प्रश्न एक—दसूरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

- 07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में बदीबाई (अ.सा.2) का कथन है कि पिंटू उसका पुत्र है घटना लगभग 4 माह पूर्व रात्रि 9:00 बजे की है। अभियुक्तगण का उनसे घटना के पहले विवाद हुआ था जिसमें उन्होंने राजीनामा कर लिया था। घटना वाले दिन रात उसके घर हीरालाल अपने हाथ में फालिया लेकर आया तथा शेष अभियुक्तगण के हाथ में लट्ठ थी। आरोपीगण ने घर का दरवाजा तौड दिया था। हीरालाल ने फालिया उसके पुत्र पिंटू को मारा था जो उसे सिर में कान के पास लगा था। अभियुक्त केकडिया ने उसे लट्ठ से मारा जो उसके दाहिने हाथ पर एवं पीठ पर लगा, केकडिया, हीरालाल ने उनके साथ मारपीट की। बीच—बचाव करने उसका जेठ मंगा, रमेश, नवसीबाई एवं बनीबाई आ गये थे। उसने थाना ठीकरी पर रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसे व उसके पुत्र पिंटू को ईलाज के लिये भेजा था। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट पर अपना निशानी अंगूठा लगाना स्वीकार किया है।
- 08— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि रमेश उसका ब्याई (साडू) लगता है, इसिलये वह उसके घर आया था। पिंटू की पत्नी उस दिन घर पर नहीं थी वह बाहर गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन तुफान आने से बिजली बंद थी और पानी गिरने के कारण अंधेरा भी हो गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि अंधेरा होने के कारण कोई किसी को देख नहीं पाये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व से ही उनकी और आरोपीगण के परिवार की बोलचाल बंद है तथा आपस में रंजिश है, इस कारण उनका व अभियुक्तगण का विवाद होता रहता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि थाने पर रिपोर्ट उसने, पिंटु, मंगा तथा रमेश ने लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध रंजिश होने के कारण झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, अथवा उसने झूठी रिपोर्ट लिखाई है।
- 09— पिंटु (अ.सा.1), रमेश (अ.सा.3), धूरक्या (अ.सा.9), कैलाश (अ.सा.8), नौसीबाई (अ.सा.10) ने भी आरोपीगण द्वारा फरियादिया के घर पर आकर बदीबाई, पिंटु, रमेश के साथ थप्पड, लट्ठ से मारपीट करने के संबंध में कथन किया है। पिंटु (अ.सा.1) का यह भी कथन है कि हीरालाल ने उसके साथ मारपीट कर कान में फालिया मारा जिससे उसके कान में चोट आई। केकडिया ने उसके घर के दरवाजे पर लट्ठ मारकर उसके घर का दरवाजा तौड दिया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि रमेश ने हीरालाल को थप्पड मार दिया था, फिर हीरालाल, केकडिया को साथ लेकर आया और केकडिया ने उसे पुट्ठे पर लट्ठ मारी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि रमेश के साथ केकडिया ने मारपीट की और केकडिया ने लट्ठ से बदीबाई के साथ मारपीट की थी जिससे बदीबाई के दाहिने हाथ, जांघ एवं कमर एवं पीठ में चोट आई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि

उनकी और आरोपीगण की घटना के पूर्व से बातचीत बंद है। घटना के समय बिजली की रोशनी नहीं थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह अंधेरा के कारण किसी का चेहरा नहीं देख पाई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने चांद की रोशनी में आरोपीगण का चेहरा देख लिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके गांव के काफी लोग इकट्ठे हो गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बनीबाई उसकी काकी लगती है तथा मंगा उसके बडे पापा लगते है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

- 10-रमेश (अ.सा.3) का यह भी कथन है कि केकडिया, चन्द्र हाथ में लट्ट लेकर आये थे तथा बदीबाई के साथ और उसके पुत्र पिंटू के साथ मारपीट की थी, वह बीच बचाव करने आया तब उसे भी आरोपीगण ने लट्ठ से मारा था जिससे उसे चोटें आई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में सक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने पिंटू के साथ विवाह कर लिया था और उनके घर में निवास करती है। उसका बदीबाई के परिवार से अच्छे संबंध में और बदीबाई भी आरोपी केकडिया की आपस में पुरानी रंजिश है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय गांव में बिजली की रोशनी नहीं थी और बदीबाई के घर में भी अंधेरा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के दिन तुफान आया था और बारिश भी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर अंधेरा होने के कारण वह किसी का चेहरा नहीं देख पाया था और आरोपीगण के विरूद्ध बदीबाई ने शंका होने के कारण रिपोर्ट लिखवाई है। साक्षी ने स्वीकार कया है कि जब वह पिंटु के वाहन बैठकर रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे, तब पिंदु के वाहन का संतुलन बिगड़ जाने के कारण पिंदु ने वाहन गिरा दी थी जिससे उसे, बदीबाई को व पिंदु को चोटें आई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल पर घटना के समय आरोपीगण को नहीं देखा था।
- 11— मंगू उर्फ मंगा (अ.सा.4) ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी चन्दू बाई ने बदीबाई के साथ और केकडिया ने पिंटु व रमेश के साथ मारपीट की थी। यहा तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। बनीबाई (अ.सा.5) का कथन है कि वह घटना स्थल पर गई थी तब तक आरोपीगण वहां से जा चुके थे तथा बदीबाई ने पूछने पर बताया कि आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने बदीबाई, पिंटु, रमेश के साथ मारपीट की थी। यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 4 का कथन देने से इंकार किया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने झागडा नहीं छुडाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बदीबई और केकडिया की आपस में बोलचाल एवं झगडा होता रहता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने झागडा नहीं छुडाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बदीबई और केकडिया की आपस में बोलचाल एवं झगडा होता रहता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि रंजिश के करण उसकी पत्नी ने आरोपीगण के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाई है।
- 12— कैलाश (अ.सा.8) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह बदीबाई के घर गया था तब घटना हो चुकी थी और मामला शांत हो

गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह बदीबाई के घर गया था, तो उसके घर पर रमेश, पिंटु, घुरिकया थे और उनके अलावा बदीबाई के घर कोई नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उन्हें साथ लेकर वह थाने पर रिपोर्ट करने गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि दो बार झगड़ा हो गया था एक बार सुबह एवं एक बार शाम 9:00 बजे हुआ था। साक्षी ने यह तथ्य ध्यान होने से इंकार किया है कि घटना दिनांक को गांव की लाईट बंद थी या नहीं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके बदीबाई के साथ अच्छे संबंध होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

- 13— नौसीबाई (अ.सा.10) ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बदीबाई उसकी देवरानी लगती है और आरोपीगण और फरियादीगण के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बदीबाई आंगन में रोशनी की व्यवस्था नहीं है तथा रात में अंधेरा हो गया था।
- 14— डॉ. आर.एस. मुजाल्दा का कथन है कि दिनांक 10.05.2012 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र ठीकरी में थाना ठीकरी के आरक्षक शांतिलाल नं. 175 के लाने पर आहत बदीबाई पित घुरिकया उम्र 40 वर्ष, निवासी काकरिया का मेडिकल परीक्षण करने पर जॉघ में तथा दाहिने हाथ में सुजन होना पाया था तथा पीठ में दर्द की शिकायत कर रही थी किन्तु कोई चोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। उक्त सभी चोटे किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी तथा सामान्य प्रकृति की होकर उसके परीक्षण के 4 घंटे के भीतर की होना पाई थी।
- 15— इसी साक्षी ने आहत पिंटु पिता घुरिकया उम्र 18 वर्ष, निवासी काकरिया का परीक्षण करने पर बाये गाल पर कटा फटा घाव होकर किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रहा था तथा सामान्य प्रकृति का होकर उसके परीक्षण 4 घंटे के भीतर की होना पाई थी। इस साक्षी ने आहत रमेश पिता मांगीलाल उम्र 40 वर्ष, निवासी काकरिया का मेडिकल परीक्षण करने पर बाये कंधे में सुजन, दाहिने गाल में सुजन तथा पाव में रगड थी जो किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आकर सामान्य प्रकृति की होकर उसके परीक्षण के 4 घंटे के भीतर की होना पाई थी तथा अपनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 8, 9 तथा 10 भी प्रमाणित किये है जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहतों को आई उक्त सभी चोटें मोटरसाईकिल पर से गिरने से आना संभव है।
- 16— आशीष पण्डित (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 10.05.12 को थाना ठीकरी में फरियादी बदीबाई ने आरोपीगण के विरूद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके आधार पर उसने अपराध क. 92 / 12 दर्ज किया था जिसके ए ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तथा फरियादिया ने उस पर निशानी अंगूठा किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार किया है कि थाना ठीकरी से ग्राम काकरिया की दुरी 10 कि.मी. है तथा पैदल आने में

2—ढाई घंटे लग जाते है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य रिपोर्ट लिखी है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

- 17— ओमप्रकाश यावद (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 10.05.12 को थाना ठीकरी के अपराध क. 92/12 की विवेचना के दौरान बदीबाई की निशांदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका पंचानामा प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी बदीबाई और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने आरोपी केकडिया के पेश करने पर एक बांस की लकडी आठ गठान वाली साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी 5 की जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तों और फरियादीगण के मध्यम पुरानी रंजिश के बारे में जांच नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उनकी पुरानी रंजिश है। साक्षी रमेश, बदीबाई का साडू है शेष साक्षियों से फरियादी की रिश्तेदारी के बारे में जानकारी होने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।
- 18— इस प्रकार स्पष्ट रूप से बदीबाई (अ.सा.2), पिंटु (अ.सा.1) तथा रमेश (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय रात को अंधेरा था और रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। शेष अभियोजन साक्षियों ने भी बारिश और तुफान के कारण घटना स्थल पर बिजली / रोशनी नहीं होना स्वीकार किया है। कैलाश पाटीदार (अ.सा. 8) ने स्वीकार किया है कि जब वह बदीबाई के घर गया तब वहां फरियादी और आहत के अलावा अन्य कोई नहीं थे। रमेश (अ.सा.3) ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल पर आरोपीगण को नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण के विरूद्ध फरियादी ने शंका होने के कारण रिपोर्ट लिखाई थी और जब वह मेटरसाईकिल पर बैठकर रिपोर्ट करने जा रहे थे उनके वाहन का संतुलन बिगड़ जाने से वह गिर गये थे और उसे, पिंटु और बदीबाई को चोटे आई थी।
- 19— डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.7) ने भी तीनों आहत साक्षियों को मोटरसाईकिल से गिरने के कारण चोटें आना स्वीकार किया है। प्रकरण के शेष अभियोजन साक्षी जिन्हें चश्मदीद होना बताया गया है ने भी फरियादी से हितबद्ध ओर आरोपीगण से रंजिश होना उन्होनें स्वीकार किया है।
- 20— ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह अभिवाक सम्भावित प्रतीत होता है कि रात के अंधेरे में किन्ही व्यक्तियों ने आहत बदीबाई, पिंटु और रमेश के साथ मारपीट और उनसे पूर्व रंजिश के कारण आरोपीगण के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरूद्ध उक्त कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें आरोपित अपराध या किसी भी अन्य अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। उक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः यह न्यायालय आरोपी केकड़ीया पिता मड़ीया भिलाला,

उम्र 45 वर्ष, निवासी काकरिया, चन्दू पिता केकड़ीया भिलाला, उम्र 19 वर्ष, निवासी काकरियां को भादिव की धारा 294, 323 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

21- अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

22— प्रकरण में जप्तशुदा बांस की एक लकड़ी मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला बड्वानी, म.प्र.